राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर

क्रमाक – चि-5/2019/रा मे रि सो./118 दिनाक 9.5.19

समस्त मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एव प्रभारी,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।
समस्त चिकित्सा अधिकारी एव प्रभारी,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

परिपत्र (संशोधन)

विषयः– राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी राजस्थान में प्राप्त आय को नियमानुसार उपयोग करने के संबंध मे।

प्राय यह देखने मे आया है कि राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, राजस्थान के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली आय का नियमानुसार समुचित उपयोग सबधित चिकित्सालय प्रभारियो के द्वारा नही किया जाता है, जबकि राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी राजस्थान नियमावली 2018 के नियम 3 एव 4 मे सोसायटी को विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त होने वाली आय एवं आय को विभिन्न कार्यो यथा सुरक्षा, सफाई, विभिन्न मशीनो एव उपकरणो की मरम्मत एव रख–रखाव, भवनों की मरम्मत, रगरोगन व रखरखाव आदि कार्यो हेतु उपयोग मे लिया जा सकता है। तथापि विभिन्न निरीक्षणो के दौरान चिकित्सालयो मे सुव्यवस्थाओ का अभाव पाया गया।

अत समस्त चिकित्सालयो के प्रभारी अधिकारियो को निर्देशित किया जाता है कि सलग्न प्रपत्र मे गत वित्तीय वर्ष 2018–19 मे अस्पताल/सस्था मे सोसायटी की विभिन्न स्त्रोत से प्राप्त आय एव व्यय की जानकारी अविलम्ब प्रेषित करावे, तथा भविष्य में प्रत्येक माह मे सोसायटी की प्राप्त आय एव व्यय की जानकारी आगामी माह की 7 तारीख तक अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐ, राजस्थान जयपुर को उनकी ई–मेल आईडी adhadmhs@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिशिचत करावे। जिससे की अतिरिक्त निदेशक, (चिकित्सा प्रशासन) चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐ, राजस्थान जयपुर द्वारा सम्पूर्ण सूचनाओ को सकलित करते हुए इसे विशिष्ट शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय को अवलोकन हेतु प्रतिमाह प्रस्तुत किया जा सके। उक्त ई–मेल आईडी adhadmhs@gmail.com पर राजस्थान मेडिकेयर रीलीफ सोसायटी के खातो की सी0ए0 से अकेक्षित प्रतिवेदनों को भी वार्षिक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, राजस्थान नियमावली–2018 मे वर्णित निर्देशो के अनुसार प्राप्त आय का नियमित उपयोग किया जाना सुनिश्चित करावे, जिससे कि चिकित्सालयो के दिन प्रतिदिन के कार्यो को सुचारू रूप से सम्पादित किया जा सके।

राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, राजस्थान नियमावली–2018 के नियम 6 की तालिका के बिन्दु सख्या 9 मे वर्णित अन्य मद व्यय यदि अपयोग से शेष (Unutilized) रहता है तो उक्त मद मे व्यय नही होने के कारणो की औचित्य के सबध मे टिप्पणी अकित करते हुए क्रम सख्या 1 से 8 तक के बिन्दुओ मे इगित कार्यो हेतु व्यय करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

चिकित्सालय मे असुविधाओ के व्याप्त होने एव सोसायटी मे उपलब्ध राशि का अनुपयोग पाए जाने पर उक्त राशि को सबधित सोसायटी हेतु अनुपयोगी/ अनावश्यक मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एव प0क0 विभाग
राजस्थान, जयपुर

<u>राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी राजस्थान में प्राप्त आय एवं व्यय का विवरण</u>

क्र0स0	वित्तीय वर्ष 2018–19 मे प्राप्त कुल आय		व्यय राशि		दिनांक 31 3.19 को शेष राशि
	आय के स्त्रोत	राशि	व्यय का विवरण	राशि	
	1 2 3 4.				
	कुल राशि				

D:\Hq\Letter doc